

बैंक के आस-पास नकली पीली धातु बेचने मामले में फ्राड का नकद 5000 रुपये व एक अदद चैन, गुल्ली (पीली धातु) के साथ 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 23.09.2024 को वादी श्री झिन्पत पुत्र गौरा साकिन इब्राहिमाबाद-। थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा तहरीर के आधार पर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ पर मु0अ0सं0 197/2024 धारा 316(2),318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 24.09.2024 को मुकदमा उपरोक्त की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर यूनियन बैंक दोहरीघाट के पास से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 04 नफर वांछित अभियुक्तगणों शिवजी मिश्रा पुत्र स्व0 परशुराम मिश्रा निवासी बेन्दुआ, बब्बन पासवान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द पासवान निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली, मरछु यादव पुत्र स्व0 पराग यादव निवासी रामपुर छावनी थाना भीमपुरा, जयराम चौहान पुत्र स्व0 विश्वनाथ चौहान निवासी पटखौली नगरी थाना सुखपुरा जनपद बलिया को फ्राड कर अर्जित किये गये 5000रु0 नकद व अन्य व्यक्ति से फ्राड के लिए रखे एक अदद चैन, गुल्ली (पीली धातु) बरामद कर गिरफ्तार किया गया उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 197/2024 धारा 316(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. शिवजी मिश्रा पुत्र स्व0 परशुराम मिश्रा निवासी बेन्दुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 58 वर्ष।
2. मरछु यादव पुत्र स्व0 पराग यादव निवासी रामपुर छावनी थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 59 वर्ष।
3. बब्बन पासवान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द पासवान निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया उम्र करीब 54 वर्ष।
4. जयराम चौहान पुत्र स्व0 विश्वनाथ चौहान निवासी पटखौली नगरी थाना सुखपुरा जिला बलिया उम्र करीब 58 वर्ष।

बरामदगी-

1. फ्राड का नकद 5000 रुपये।
2. चैन-01 पीली धातु।
3. गुल्ली-01 पीली धातु बरामद।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवजी मिश्रा पुत्र स्वपरशुराम मिश्रा निवासी बेन्दुआ थाना कोतवाली जनपद बलिया-

1. मु0अ0सं0 53/20 धारा 420 भादवि थाना बांसडीह जनपद बलिया।
2. मु0अ0सं0 197/20 धारा 60 आब0 अधि0 थाना रसड़ा जनपद बलिया।
3. मु0अ0सं0 383/23 धारा 34,386,406,411,420 भादवि थाना सिंकन्दरपुर जनपद बलिया।
4. मु0अ0सं0 387/20 धारा 34 भादवि 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिंकन्दरपुर जनपद बलिया।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त बब्बन पासवान पुत्र स्व0 प्रेमचन्द पासवान निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया-

1. मु0अ0सं0 246/23 धारा 380,457 भादवि थाना नगरा जनपद बलिया।

2. मु0अ0सं0 118/23 धारा 380,411 भादवि थाना रसड़ा जनपद बलिया ।
3. मु0अ0सं0 360/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसड़ा जनपद बलिया ।

अपराधिक इतिहास जयराम चौहान पुत्र स्व0 विश्वनाथ चौहान निवासी पटखौली नगरी थाना सुखपुरा जिला बलिया-

1. मु0अ0सं0 312/21 धारा 379,427 भादवि थाना कोतवाली मऊ।
2. मु0अ0सं0 320/21 धारा 379,427 भादवि थाना कोतवाली मऊ।
3. मु0अ0सं0 427/19 धारा 8/20 भादवि थाना घोसी मऊ।
4. मु0अ0सं0 432/21 धारा 379,411 भादवि थाना घोसी मऊ।
5. मु0अ0सं0 481/21 धारा 411 भादवि थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
6. मु0अ0सं0 482/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
7. मु0अ0सं0 639/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
8. मु0अ0सं0 751/14 धारा 4/25 आयु अधि0 1959 थाना कोतवाली मऊ।
9. मु0अ0सं0 147/13 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना सुखपुरा बलिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महादेव गुप्ता थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. हे0का0 राजबहादुर यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।
3. का0 हृषिकेश पाण्डेय थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. का0 हिमान्शु सोनकर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. का0 संजीव सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

दहेज हत्या मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बारीगावं सरवां के पास से मु0अ0सं0 59/24 धारा 498ए, 304बी भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट में दहेज हत्या मामले में फरार चल रहे अभियुक्त अली हसन पुत्र अरसद निवासी बारीगावं सरवां थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

दिनांक 23.09.2024 को थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत चिस्तीपट्टी में मारपीट मामले में एक व्यक्ति की

इलाज के दौरान हुई मृत्यु में मारने वाले मृतक का भाई सहित कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.09.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन रोड़ मुहम्मदाबाद के पास से दिनांक 23.09.2024 को चिस्तीपट्टी में जमीन पर खुटा हलाने को लेकर हुए मारपीट में एक व्यक्ति भोला पुत्र बरसाती निवासी चिस्तीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गंभीर चोट लग गयी जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । मारने वाले अभियुक्तगण धनेश्वर चौहान (मृतक का भाई) पुत्र बरसाती, मनभावती पत्नी धनेश्वर चौहान, निशा चौहान पुत्री धनेश्वर चौहान

निवासीगण चिस्तीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 323/24 धारा 3(5),115(2),351(2),352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया उक्त अभियोग में धारा 110,105 बीएनएस की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. धनेश्वर चौहान (मृतक का भाई) पुत्र बरसाती निवासी चिस्तीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
2. मनभावती पत्नी धनेश्वर चौहान निवासी चिस्तीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।
3. निशा चौहान पुत्री धनेश्वर चौहान निवासी चिस्तीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

दुष्कर्म मामले में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 25.09.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 241/24 धारा 137(2),64,87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त सिकन्दर राजभर पुत्र पंचम राजभर निवासी अतरारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया । उक्त अभियोग में धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया ।

चोरी के 01 अदद चैन, 04 अदद कान का झाला (पीली धातु) व 02 अदद पैजनी (सफेद धातु) के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 25.09.2024 को जरिये मुखबिर की सूचना पर हिकमा चट्टी के पास से कस्बा कोपागंज के आभूषण के दुकान से चोरी मामले में प्रकाश में आये अभियुक्ता रीना देवी पत्नी हरिकेश निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, अंजली पुत्री बाबूलाल निवासी भगवानपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से चोरी के 01 अदद चैन, 04 अदद कान का झाला (पीली धातु) व 02 अदद पैजनी (सफेद धातु) बरामद कर गिरफ्तार किया गया । जो मु0अ0सं0 260/24 धारा 305,317(2) बीएनएस से संबंधित थे । उक्त अभियुक्ता का चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रीना देवी पत्नी हरिकेश निवासी गुजरपार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. अंजली पुत्री बाबूलाल निवासी भगवानपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

बरामदगी-

1. 01 अदद चैन, 04 अदद कान का झाला (पीली धातु) ।
2. 02 अदद पैजनी (सफेद धातु) ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 सपना थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. म0उ0नि0 कोमल कशौधन थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. म0का0 रीना थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
4. हो0 गा0 चालक दिनेश थाना कोपागंज जनपद मऊ ।